

प्ररूप 1

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
एस-2 'ए' ब्लाक, एनएएससी काम्पलेक्स, डीपीएस मार्ग, टोडापुर गांव के सामने
नई दिल्ली-110012

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन नई किस्म और विद्यमान किस्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

[धारा 18 देखिए, अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म से भिन्न]

(आवेदक के लिए अनुदेश: जहां कहीं प्रश्नों के सामने बॉक्स बना हो वहां कृपया सुसंगत बॉक्स पर सही का चिह्न लगाएं तथा अन्य प्रश्नों में स्पष्ट लिखित/टंकित उत्तर दें।)

1. आवेदकों का पहचान:

- व्यष्टिक प्रजनक
 - प्रजनक का उत्तराधिकारी
 - संस्थागत आवेदक
 - उपरोक्त में से किसी का समनुदेशिती
 - अभिसमय देश
 - कोई अन्य
1. समनुदेशिती या आवेदक का विधिक प्रतिनिधि, नियम 27 के अनुसार आवेदन करने के अधिकार का अपेक्षित सबूत प्रस्तुत करेगा।
 2. भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना में आवेदन करने के अधिकार का अपेक्षित सबूत प्रस्तुत करेगा।
 3. सहभागी पौधा प्रजनन से विकसित सामग्री के लिए ऐसे दस्तावेज संलग्न कीजिए जो कृषक और पौधा प्रजनक के बीच किए गए व्यवहार को स्पष्ट रूप से दर्शाएं।

2. आवेदक (आवेदकों) का नाम और राष्ट्रीयता

(क) (प्राकृतिक व्यक्ति की दशा में): यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पंक्तियां डालें,

1. क्रम संख्या
2. नाम
3. पूरा पता
4. राष्ट्रीयता

(ख) (विधिक व्यक्ति की दशा में : उदाहरण के लिए फर्म या कंपनी या संस्था)

नाम:

उसके मुख्यालय या स्थापन का पता:

(रजिस्ट्रीकृत कार्यालय):.....

निगमन वर्ष:

लिखिए क्या विधिक व्यक्ति आवेदक के पास पूंजी या प्रबंध में अभारतीय भागीदारी है:

हां

नहीं

यदि हां, तो राष्ट्रीयता बताएं.....

(ग) प्राकृतिक व्यक्ति, जो विधिक व्यक्ति का कर्मचारी हो, जो विविधक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत हो (उदाहरण के लिए किसी कंपनी का निदेशक या किसी फर्म का भागीदार) का नाम और पता लिखिए –

1. नाम :
2. पदनाम :
3. पता :
4. दूरभाष :
5. फैक्स :
6. ई-मेल :

3. उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे इस आवेदन से संबंधित पत्र भेजे जाने हैं (यदि आवश्यक हो, तो प्ररूप तफ-1 में प्राधिकार संलग्न करें)

नाम :.....
पता :

पिन :

दूरभाष :

फैक्स :

ई-मेल :

3 (क) कारोबार का मुख्य स्थान या आवेदक का अधिवासः

.....
.....
.....

4. अभ्यर्थी किस्म की साधारण जानकारी :

फसल का सामान्य नाम :

वानस्पतीय नाम :

कुल :

अभिधान (बड़े अक्षरों में) :

वानस्पतीय नाम से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ट पौधा नामकरण सहिता, 2004 द्वारा अनुमोदित वैज्ञानिक नाम अभिप्रेत है।

5. किस्म का प्रकार (पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम, 2003 का अध्याय 3 देखिए)

- नई किस्म
- विद्यमान किस्म

6. (क) अभ्यर्थी किस्म का वर्गीकरण :

- प्रारूपिक किस्म
- संकर किस्म
- ट्रांसजेनिक
- अन्य (विनिर्दिष्ट कीजिए)

5 प्रारूपिक किस्म से ऐसी किस्म अभिप्रेत है जो संकर नहीं है या अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म नहीं है और पूर्व फसल उत्पादन चक्रों में यावृत प्रवर्धी का उपयोग करके सामान्यतया प्रवर्धित की जाती है। (उदाहरणार्थ : जिसके अंतर्गत पैतृक परंपरा, समिश्रित किस्में या वानस्पतीय प्रवर्धित किस्में भी हैं।)

*संकर न कि ट्रांसजेनिक संकर की दशा में, खेती और बीज उत्पादन के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति के अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि संलग्न कीजिए।

(ख) सुभिन्नता, एकरूपता स्थिरता तत्व क्या हैं जिनके आधार पर रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है। समूह लक्षणों को सविस्तार बताइए (ब्यौरे के लिए विनिर्दिष्ट दिशानिर्देश देखिए) तकनीकी प्रश्नावली पूरे विवरण सहित संलग्न कीजिए जो मुहर सहित सम्यकतः हस्ताक्षरित हो।

(ग) यदि नई किस्म ट्रांसजेनिक है तो पर्यावरण और वन मंत्रालय का जैव सुरक्षा अनापत्ति प्रमाणपत्र संलग्न कीजिए।

7. प्रजनक/प्रजनकों के नाम और पते जिसमें/जिनहोंने अभ्यर्थी किस्म को प्रजनित किया है।

नाम :
पता :
दूरभाष :
फैक्स :
ई-मेल :
राष्ट्रीयता :

*एक से अधिक प्रजनकों की दशा में, उपरोक्त प्रपत्र में सभी नामों का (ii), (iii) इत्यादि के रूप में उल्लेख कीजिए। यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाएं।

8. (क) अभिसमय देशों में या अन्य देशों में अभ्यर्थी किस्म के बारे में किए गए अन्य पूर्वतर आवेदनों का विवरण (यदि लागू हो) :

किस्म अभियान :

आवेदित अधिकार की प्रेकृति

पौधा प्रजनक के

पेटेन्ट अधिकार

फाइल करने की तारीख

(साक्ष्य संलग्न करें)

देश का नाम

प्राधिकरण का नाम

आवेदन संख्या

आवेदन की स्थिति :

विचाराधीन

अनुमोदित

नामंजूर

(यदि आवश्यक हो तो हर लागू देश के लिए उपर्युक्त को दोहराएं और अतिरिक्त पन्ना लगाएं)

(ख) यदि उक्त अभियान की अन्यर्थी किस्म के सबसे पहले आवेदन के संबंध में अब पूर्विकता मांगी जाती है (यदि लागू हों)

किस देश में

किस तारीख को

(आवेदन की तारीख)

9. क्या अभ्यर्थी किस्म का वाणिज्यिक उपयोग किया गया है या अन्यथा उसका समुपयोग किया गया है हां नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित बताएः

किस्म के प्रथम विक्रय की तारीख :

वह देश जहां संरक्षण किया गया है :

प्रयुक्त व्यापार चिह्न, यदि कोई हो :

प्रथम फाइल करने की बाबत महत्वपूर्ण लक्षण में भिन्नता : (अलग से पन्ना लगाए)

10. (क) यदि अभ्यर्थी किस्म संकर है तो बताएं कि क्या संकर के बार-बार प्रवर्धन के लिए आवश्यक पैतृक पंरपरा आवेदक द्वारा अनन्यतः प्रजनित है:

हां नहीं

^४यदि नहीं तो उल्लेख करें कौन सी पैतृक परंपरा बाह्यसाधित है, क्या पौधा किस्म और कृषक अधिकार सरक्षण अधिनियम, की धारा 30 की अनुपालन में प्रत्येक बाह्य साधित संरक्षित पैतृक परंपरा के लिए करारपत्र अभिप्राप्त किया गया है तथा प्रत्येक के बारे में निम्नलिखित जानकारी भी दें :—

पैतृक परंपरा :

अभिधान⁸

स्त्रोत :

प्राधिकार-पत्र अभिप्राप्त

संलग्न

संलग्न नहीं

⁷स्त्रोत पर प्रयुक्त किए गए अभिधान को नहीं बदलना चाहिए। स्त्रोत संबंधी सूचना में प्रजनक का नाम या संस्था या कृषक या कृषक समुदाय का नाम जिसने पैतृक परंपरा को प्रजनित किया और पोषित किया। अतिरिक्त लागू पैतृक परंपरा के लिए उपर्युक्त जानकारी को दोहराएं।

(ख) बताएं संकर के बार-बार प्रवर्धन के लिए पैतृक परंपरा के रूप में यदि किसी कृषक किस्म का या सामान्य ज्ञान की किस्म या लोक क्षेत्र की किस्म का प्रयोग किया जाता है :

हां नहीं

यदि हो तो निम्नलिखित विवरण दें:

अभिधानः

भौगोलिक स्त्रोतः

सहज गुणों के ब्यौरे (उद्भवः):

स्वामी कृषक/ग्राम समुदाय/संस्था/संगठन का ब्यौरा :

(ग) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 उन कृषकों को फायदों का हिस्सा पाने को सुगम बनाता है जिन्होंने आनुवंशिक संसाधन को संरक्षित किया है जिससे किस्म के विकास में योगदान मिला है। इस विशिष्ट मामले में आवेदक ने किस प्रकार की कृषक/समुदाय मान्यता की योजना बनाई है।

11. किस्म या संकर की व्युत्पत्ति में यदि, विदेशज जनन द्रव्य का प्रयोग किया गया है तो विवरण दीजिए :

12. आवेदन फीस और सुभिन्नता, एकरूपता स्थिरता परीक्षण फीस के संदाय का विवरण

फीस राशि

(केवल रूपए)

मांगदेय ड्राफट का नाम जिससे मांगदेय ड्राफट आहरण किया गया है :

.....
आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं/हम उपरोक्त सहित अभ्यर्थी किस्म के रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए आवेदन करता हूं/ करते हैं और मैं/हम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 तथा इस आवेदन से संबंधित उसके नियमों से परिचित हूं/हैं।

मैं/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि इस आवेदन में वर्णित व्यक्ति/व्यक्तियों से भिन्न कोई व्यक्ति अभ्यर्थी किस्म के प्रजनन, या खोज या विकास में शामिल नहीं रहा है।

मैं/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि अभ्यर्थी किस्म पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 29 की उपधारा (3) का अनुपालन करता है/करती है।

मैं/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने इस किस्म के उक्त अभिधान के लिए या किसी व्यापार चिह्न के लिए आवेदन नहीं किया है या प्राप्त नहीं किया है।

मैं/हम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुपालन में एक शपथपत्र संलग्न करता हूं/करते हैं।

मैं/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि उपरोक्त अभ्यर्थी किस्म के रजिस्ट्रीकरण के इस आवेदन में दी गई जानकारी जिसके अंतर्गत उपाबंध और सभी सहायक दस्तावेज भी है, मेरे/हमारी सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार पूर्ण, सत्य और सही है और कोई भी जानकारी जानबूझकर छिपाई नहीं गई है।

मैं/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि प्रजनन, विकास या किस्म के विकास के लिए अनुवंशिक सामग्री या मूल सामग्री विधिपूर्वक अर्जित की गई है।

मैं/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के सभी उपबंधों तथा दिशानिर्देशों का पालन करूंगा/करेंगे।

स्थान

तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर

⁸जहां कहीं आवेदक एक से अधिक हैं वहां हर आवेदक को हस्ताक्षर करने होंगे। प्राधिकृत आवेदक या समनुदेशितियों के द्वारा आवेदन की दशा में इस प्रकार प्राधिकृत या समनुदेशित व्यक्ति अपने हस्ताक्षर करेगा/करेंगे।

(ध्यान दीजिए कि जहां कहीं हस्ताक्षर आवेदन या संलग्नक में किए गए हैं वहां ऐसे सब हस्ताक्षर मूल रूप से होंगे):-

(क) पूरा आवेदन :

(ख) प्ररूप तफ 1 में प्राधिकार का दस्तावेज (यदि लागू हो) :

(ग) प्ररूप तफ 2 में समनुदेशन का दस्तावेज (यदि लागू हो) :

(घ) ऊपर दिए गए (ख) और (ग) की पृष्ठि में दस्तावेज (यदि लागू हो) :

(ङ) यह शपथपत्र कि टर्मिनेटर प्रौद्योगिकी और आनुवांशिक प्रयोग निर्बंधन प्रौद्योगिकी अंतर्वलित नहीं है:

(च) फाइल करने की तारीख को दस्तावेज की प्रतिलिपि (यदि लागू हो तो स्तंभ 8 के अनुसार) :

(छ) करार पत्र की प्रतिलिपि (यदि लागू हो तो 10 के अनुसार) :

(ज) अभ्यर्थी किस्म की तकनीकी प्रश्नावली (संलग्न)

(झ) यदि आवेदक उत्तराधिकार या रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने के अधिकार के समनुदेशन के फलस्वरूप आवेदक है तो पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 18 की उपधारा (3) में यथा अनुबंधित आवेदन करने का अधिकार दर्शित करने का सबूत संलग्न करें।

(ज) अभिसमय देश आवेदक की दशा में, संलग्नक के रूप में पहली बार फाइल करने के संबंध में महत्वपूर्ण लक्षण में परिवर्तन संबंधी पूरा विवरण संलग्न करें।

(ट) अभिसमय देश आवेदक की दशा में, यह व्यापक जानकारी दें कि क्या वह किस्म अभिसमय देश के भीतर या बाहर बेची जा चुकी है अथवा उसका अन्यथा व्ययन किया जा चुका है ;

(ठ) ट्रांसजेनिक की दशा में, सुसंगत जननिक इंजीनियरी अनुमोदन समिति का अनापत्ति प्रमाणपत्र और अनुमोदन ; और

(ड) फीस, जो लागू है

यदि आवश्यक समझे तो सुभिन्नता स्थापित करने के लिए विनिर्दिष्ट विशेषताओं के रंगीन चित्र संलग्न करें। कृपया आवेदन और हर दस्तावेज के बाये हाशिये में, हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें।